

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - कपूर शंकर मान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 025/2019 (RCMS 2019/00104)	दायर दिनांक 13.06.2019	निर्णय दिनांक 25.06.2019
-------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

अनवान

1. श्री कस्तुरी पिता किशना जाति तेली आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री डालु पिता कालु जाति तेली आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री नारायणी पिता कालु जाति तेली आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
4. सोहनी बेवा कालु जाति तेली आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शंकर लाल पिता बरदा जाति जाट आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री उदयसिंह पिता ऊँकार सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री जीवन लाल पिता मांगी लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री नारायण लाल पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़।



अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री आर एल शर्मा
एक तरफा

प्रार्थी।
अप्रार्थीगण।

--:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू-राजस्व अधिनियम ::--

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना-पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुरजनिया पटवार हल्का गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 124 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 544,554,555/1 कुल कित्ता 03 रकबा 3.



01 बीघा-बिस्वा लगानी 13.54 रूपये भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है और अप्रार्थीगण अराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जा कर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 25.06.2019 को अप्रार्थीगण को नोटिस तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस एक तरफा हेतु निवेदन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र को एक तरफा सुना गया। पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी संख्या 1,2,3,4, आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी संख्या 1,2,3,4 प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राज0भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राशमी को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के जरिये तहसीलदार राशमी आदेश दिया जाता है कि मौजा गुरजनिया पटवार हल्का गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 124 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 544,554,555/1 कुल कित्ता 03 रकबा 3.01 बीघा-बिस्वा लगानी 13.54 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन(पत्थरगढी) से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावें। तहसीलदार राशमी को तहरीर जारी करे।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को 25.06.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपूर शंकर मान)
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(25)2019/25.06.2019

दिनांक 25 जून, 2019

निमित्त,

भू-अभिलेख निरीक्षक,
वृत्त सिहाना
जरिये तहसीलदार, राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

अनवान

1. श्री कस्तुरी पिता किशना जाति तेली आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री डालु पिता कालु जाति तेली आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री नारायणी पिता कालु जाति तेली आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
4. सोहनी बेवा कालु जाति तेली आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण**बनाम**

1. श्री शंकर लाल पिता बरदा जाति जाट आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री उदयसिंह पिता ऊँकार सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री जीवन लाल पिता मांगी लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री नारायण लाल पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गुरजनिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण**प्रार्थना पत्र संख्या :- 025/2019****-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको आदेशित किया जाता है कि मौजा मौजा गुरजनीया पटवार हल्का हरनाथपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की आराजीयात आराजी संख्या 544,554,555/1 कुल कित्ता 03 रकबा 3.01 बीघा-बिस्वा कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन(पत्थरगढ़ी) से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावे।



(कपूर शंकर मान)
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Web Copy - Not Official